

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर सागर जिले के अन्तर्गत 33 के.व्ही. गौरझामर देवरी ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 2.070 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 06.02.2016
स्थान: भोपाल


हरताक्षर
नाम साफ अक्षरों में सचिव
पद नाम
(सरकारी मोहर)
मुख्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)